कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्री छगन लाल पाटीदार, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जलोदा जागीर, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ का स्थानान्तरण राउमावि बोरिया जिला बांसवाड़ा किया गया था जिसके विरूद्ध श्री छगन लाल पाटीदार द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 3337/2021 छगन लाल पाटीदार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 3337/2021 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.02.2021 द्वारा याचिकार्थी श्री छगन लाल पाटीदार को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए रिक्त पदों के सम्बन्ध में दो सप्ताह के भीतर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा उसे विधि अनुसार 6 सप्ताह के भीतर एक सकारण आख्यात्मक आदेश (SPEAKING REASONED ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपना पदस्थापन राउमावि चांदोली, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ अथवा राउमावि बसेड़ा छोटीसादडी जिला प्रतापगढ में प्रधानाचार्य के किसी रिक्त पद पर पदस्थापित किये जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया और उनकी मांग पर विचार किया गया। याचिकार्थी के अभ्यावेदन के परीक्षणोपरांत उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए याचिकार्थी श्री छगन लाल पाटीदार का पदस्थापन स्थान संशोधित करते हुए उनका समायोजन राउमावि बसेडा, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/छगन लाल/3337/2021/228 दिनांकः 25.03.21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग, उदयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, प्रतापगढ/बांसवाड़ा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक प्रतापगढ/बांसवाड़ा।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री छगन लाल पाटीदार, प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)